एस ~~सी~~ ओ/ ~~रीडर~~

6 7/1) आवेदन पत्रावली कैम कोर्ट कि कोटिया में पेश हुई पत्रावली कानूनन बाद अवधि होने से निरस्त हो चुकी है अतः प्रा.पत्र का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे निर्णय कैम कोर्ट में लिखाया व सुनाया गया।